न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2014-00081Ju2014-088 Rakesh Parihar Vs LRs of Banshilal etc

---

राकेश परिहार पुत्र शिवलाल परिहार जाति परिहार
निवासी जालोरी गेट के अन्दर
तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. बंशीलाल परिहार पुत्र किशनलाल परिहार के कायममुकामान-
   1.1. ओमप्रकाश परिहार पुत्र बंशीलाल परिहार जाति परिहार निवासी बालवाडी स्कूल की गली, जालोरी गेट के अन्दर, तहसील व जिला जोधपुर
   1.2. मधु पुत्री बंशीलाल परिहार पत्नी लक्ष्मीनारायण सोलंकी जाति परिहार
   1.3. श्रीमती आशा पुत्री बंशीलाल परिहार पत्नी रमेश जाति परिहार,
   निवासीगण घोडों का चौक, (सोजतिया घांचियों का बास), सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर
   1.4. श्रीमती बेवी पुत्री बंशीलाल परिहार पत्नी बंशीलाल जाति परिहार, निवासी लक्ष्मी विहार, मधुबन हाउसिंग बोर्ड से आगे, जोधपुर
   1.5. अशोक परिहार पुत्र बंशीलाल परिहार के कायममुकामान--
      1.5.1. श्रीमती मंजू पत्नी अशोक परिहार जाति परिहार,
      1.5.2. धीरज पुत्र अशोक परिहार जाति परिहार,
      1.5.3. रिंकी पुत्री अशोक परिहार जाति परिहार,
      निवासीगण बालवाडी स्कूल की गली, जालोरी गेट के अन्दर, तहसील व जिला जोधपुर
2. शिवलाल परिहार पुत्र किशनलाल परिहार,
3. राजेश पुत्र शिवलाल परिहार
4. शशि पुत्री शिवलाल परिहार पत्नी गिरधारी परिहार
   निवासीगण जालोरीगेट के अन्दर बालवाडी स्कूल से आगे, आलीशान टेण्ट हाउस के सामने, जोधपुर
5. बेलादेवी पत्नी घनश्याम अग्रवाल
   निवासी पाल लिंग रोड, जोधपुर
6. अनीता पत्नी गजेन्द्र अग्रवाल
   निवासी गांव बाली, जिला पाली
7. मोहम्मद शकील गोरी पुत्र अब्दुल रहमान
8. जायदा गोरी पत्नी अब्दुल रहमान
   निवासीगण कमला नेहरू नगर
   जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9. उम्मेद पत्नी नजीर खां जाति मुसलमान
   निवासी सिवांचीगेट जोधपुर
10. सुरेन्द्र कुमार भंसाली पुत्र मोहनलाल भंसाली
    निवासी 92, नेहरू पार्क के पास
    जोधपुर
11. अब्दुल रहुफ पुत्र अब्दुल शकूर जाति मुसलमान
12. अमतुल रहीम पुत्र अब्दुल रहुफ जाति मुसलमान
13. मौहम्मद युसुफ राठोडी पुत्र अब्दुल रहुफ जाति मुसलमान
    निवासीगण इकरा मस्जिद, जोधपुर
14. मोहम्मद अली पुत्र मो. इस्माइल जाति मुसलमान
15. अली असगर पुत्र मोहम्मद इसाक जाति मुसलमान
    निवासी नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर
16. अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल शकूर जाति मुसलमान
    निवासी नया तालाब, नागौरी गेट
    जोधपुर
17. पुष्पा पी. डागा पत्नी प्रसन्नचन्द डागा जाति जैन
    निवासी डागा मेन्शन, शास्त्रीनगर
    जोधपुर
18. महेन्द्र पंवार पुत्र नारायणलाल जाति सैन,
    निवासी पाली बाजार, महामन्दिर
    जोधपुर
19. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार, जोधपुर
20. पटवारी,
    पटवार हळका जोधपुर
    तहसील व जिला जोधपुर
21. उप-पंजीयन अधिकारी (प्रथम)
    कार्यालय जोधपुर,
    जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनाक 21 अक्तूबर 2014 राजस्व प्रकरण संख्या 174/2013 राकेश परिहार बनाम बंशीलाल इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री सुमेरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 7 से 9
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. 5, 10, 17 व 18

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री अमरसिंह चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11, से 13
श्री शान्ति स्वरुप गहलोत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 16

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 19

नि र्ण य

दिनांक : 27 जुलाई, 2021

अपीलाण्ट ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 174/2013 राकेश परिहार बनाम बंशीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 अक्तूबर 2014 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 30 अक्तूबर 2014 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-अपीलाण्ट ने राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1105/740 (साबिका खसरा संख्या 723/16) रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा बारानी चारम में से 08 बीघा भूमि बाबत खातेदारी अधिकारों घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया जाना जाहिर करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया। रेस्पो.-अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 तथा 10 व 11 द्वारा जबाब पेश कर उक्त प्रार्थनापत्र का विरोध किया, जबकि रेस्पो.-अप्रार्थीगण संख्या 7 से 9 की ओर से जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र के तथ्यों को स्वीकार किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 अक्तूबर 2014 को खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ प्रार्थी-अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसके मूल खातेदार किशनलाल पुत्र कुनजी एवं उनके वंशजों का प्रार्थनापत्र में अंकित सजरा खानदान अनुसार किशनलाल पुत्र कुनजी (फौत) के दो पुत्र बंशीलाल एवं शिवलाल ½-½ हिस्से के वारिसान हुए। बंशीलाल पुत्र किशनलाल के दो पुत्र अशोक (फौत) तथा ओमप्रकाश एवं तीन पुत्रिया मधु, बेबी एवं आशा का विरासत में उक्त आराजी में 1/10-1/10 हिस्सा प्रत्येक का हुआ और अशोक का देहान्त हो जाने से उसके 1/10 हिस्से के वारिस उसकी विधवा पत्नी मंजू, पुत्र धीरज एवं पुत्री रिंकी (प्रत्येक का 1/30-1/10 हिस्सा) हुए। इसी प्रकार शिवलाल पुत्र किशनलाल की संतान राजेश, राकेश एवं शशि उसके ½ हिस्से बाबत वारिस होने से इन तीनों का प्रत्येक का कुल रकबा में 1/6-1/6 हिस्सा बनता है। जमाबंदी खेवट खतौनी नई 465 व पुरानी 1022 संवत 2007, खसरा गिरदावरी संवत 2008, खसरा गिरदावरी संवत 2014, खसरा परिवर्तनशील संवत 2029, फर्द मतालता संवत 2007 एवं संवत 2059 से 2062 की प्रविष्टियों के आधार पर वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजी का पर्चा लगान किशनलाल पुत्र कुनजी के नाम जारी होना बताते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि उक्त भूमि बाबत किशनलाल पुत्र कुनजी को खातेदारी अधिकार उप-जिलाधीश जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 359/53 में पारित आदेश दिनांक 18 नवम्बर 1956 से प्रदान किये गये और तदनुसार भू-प्रबंध विभाग द्वारा पर्चा लगान दिनांक 10 जनवरी 1957 मिसल संख्या 358/56 जारी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी एवं संयुक्त कब्जे-काश्त की भूमि है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि दिनांक 23 दिसम्बर 1970 को जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवसर प्रदान किये बिना ही विधि-विरुद्ध तरीके से जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश संख्या 1643 दिनांक 28 मई 1970/09 जून 1970 का हवाला देते हुए म्युटेशन संख्या 94 स्वीकृत करते हुए राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि किशनलाल पुत्र कुनजी की खातेदारी से निरस्त करते हुए खालसा दर्ज कर दी गयी। पक्षकारान का संयुक्त परिवार होने एवं परिवार में बडे होने के कारण बंशीलाल जी के पुत्र अशोक एवं ओमप्रकाश को उक्त आदेश दिनांक 28 मई/09 जून 1970 तथा म्युटेशन संख्या 94 के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु कहा गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 बंशीलाल एवं उनके पुत्र-पुत्रियों द्वारा इस संबंध में कार्यवाही करने का आश्वासन देते हुए और अन्ततः दिनांक 15 अप्रेल 2013 को अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 6/1 ने वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का कोई हक-हिस्सा होने से इंकार कर दिया और प्रार्थी-अपीलाण्ट के कब्जे में दखलअंदाजी करना आरम्भ कर दिया, तब 17 अप्रेल 2013 को प्रार्थी-अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी से संबंधित राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात की नकलें प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की और दिनांक 03 अक्तूबर 2013 को नकलें प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 6/1 से 6/3 अर्थात रेस्पो. संख्या 1.5.1 से 1.5.3 के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील में वादग्रस्त आराजी में से 08 बीघा भूमि पुनः खातेदारी में दर्ज किये जाने बाबत पारित निर्णय दिनांक 12 फरवरी 2004 एवं उसके अनुसरण में उक्त अप्रार्थीगण-रेस्पो. के हक में म्युटेशन एवं राजस्व रिकार्ड में किये गये अमल-दरामद के संबंध में जानकारी हुई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क पेश किया कि जब जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 28 मई/09 जून 1970 के अनुसार में वादग्रस्त आराजी किशनलाल पुत्र कुनजी की खातेदारी से निरस्त करते हुए खालसा दर्ज की गयी तो न्यायालय राजस्व अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्राधिकारी बाडमेर (कैम्प जोधपुर) द्वारा अपील स्तर पर उक्त आदेश निरस्त किया जाने पर वादग्रस्त आराजी पुनः भूमि किशनलाल पुत्र कुनजी की खातेदारी में ही दर्ज की जानी चाहिये थी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के बाद किशनलाल पुत्र कुनजी का मात्र 08 बीघा भूमि पर ही कब्जा रह गया, जिसमें उसके सभी वारिसान का हक-हिस्सा बनता है और मौके पर सभी उत्तराधिकारी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। अतः अपने हक-हिस्से की भूमि बाबत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी-अपीलाण्ट ने दावा पेश किया और मूल दावे के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश खारिज करने में गम्भीर तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि विवादित भूमि बाबत किशनलाल पुत्र कुनजी के सभी वारिसान का हक-हिस्सा निहित होने के उपरान्त भी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर (कैम्प जोधपुर) के निर्णय की पालना में राजस्व रिकार्ड में किये गये गलत इन्द्राजात का अनुचित लाभ उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 6/1 मंजू पत्नी स्व. अशोक परिहार द्वारा वादग्रस्त 8 बीघा भूमि में से अपने हिस्से से भी अधिक भूमि का भिन्न-भिन्न खण्डों में पृथक-पृथक विकय विलेखों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में बेचान कर दिया गया और उन केताओं द्वारा उत्तरोत्तर अन्य व्यक्तियों के पक्ष में बेचान कर दिया गया जो कानूनन सही नहीं होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 6/1 मंजू पत्नी स्व. अशोक परिहार एवं उनके कय व उत्तरोत्तर कय करने वाले केतागण अप्रार्थीगण संख्या 10 से 23 वादग्रस्त पर पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा है और अगर जरिये स्थगन आदेश उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट-प्रार्थी को गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति होने के साथ-साथ पक्षकारान में अनावश्यक विवाद बढने एवं मूल वाद में न्याय के सही बिन्दु तक पहुॅचने में कई उलझने उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने मौका रिपोर्ट के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये प्रार्थनापत्र आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र बाबत कोई आदेश पारित किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जाना जाहिर करते हुए निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्तागण-रेस्पो. जाहिर किया कि वर्ष 1984 में अशोक परिहार ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में दावा पेश किया था, जो खारिज हो गया। इसके बाद अशोक परिहार के मरणोपरान्त उसकी पत्नी श्रीमती मंजू एवं अवयस्क पुत्र-पुत्री ने जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश के खिलाफ प्रस्तुत अपील निर्णित करते हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर (कैम्प जोधपुर) द्वारा वादग्रस्त खसरा में से अशोक परिहार की पत्नी श्रीमती मंजू एवं अवयस्क पुत्र-पुत्री के पक्ष में अपील का निस्तारण किया। तदनुसार म्युटेशन स्वीकृत किया जाकर अमल दरामद किये गये है। यदि अपीलाण्ट को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर (कैम्प जोधपुर) द्वारा पारित उक्त निर्णय बाबत कोई असहमति है तो उक्त निर्णय के खिलाफ नियमानुसार चाराजोई सक्षम न्यायालय के समक्ष करनी चाहिये। अधिवक्तागण-रेस्पो. द्वारा यह भी जाहिर किया गया कि वर्तमान दावा में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जा प्राप्ति बाबत किसी अनुतोष की याचना नहीं की गयी है। इस कारण भी प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में प्रार्थी-अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद एवं अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील के जरिये राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1105/740 (साबिका खसरा संख्या 723/16) रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा बारानी चारम में से 08 बीघा भूमि बाबत अनुतोष चाहा है। प्रार्थी-अपीलाण्ट के अनुसार उक्त खसरा नम्बर का सम्पूर्ण रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा बारानी चारम पूर्व में प्रार्थी-अपीलाण्ट के परदादा किशनलाल पुत्र कुनजी की खातेदारी में दर्ज था, जो जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश संख्या 1643 दिनांक 28 मई 1970/09 जून 1970 के अनुसरण में म्युटेशन स्वीकृत कर **किशनलाल पुत्र कुनजी की खातेदारी निरस्त करते हुए राज्य सरकार के खाते में खालसा दर्ज किया गया।** कालान्तर में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर (कैम्प जोधपुर) द्वारा अपील संख्या 08/2004 श्रीमती मंजूदेवी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12 फरवरी 2004 के अनुसार **08 बीघा भूमि उक्त अपील प्रकरण में अपीलाण्ट्स मंजूदेवी आदि के नाम दर्ज की गयी।** किन्तु किशनलाल पुत्र कुनजी के वारिसान होने के आधार पर उक्त 8 बीघा भूमि में मंजूदेवी व उसकी संतान के साथ-साथ प्रार्थी-अपीलाण्ट राकेश परिहार सहित अन्य वारिसान भी अपने हक व हिस्से बाबत दावा कर रहे है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि उक्त निर्णय दिनांक 12 फरवरी 2004 के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी संख्या 4838/04/टीए/जोधपुर राजस्थान सरकार बनाम श्रीमती मंजूदेवी व अन्य तथा राजस्थान स्टेट इंडिस्ट्रियल डवलपमेण्ट एवं इन्वेस्टमेण्ट कॉरपोरेशन लि. की ओर से प्रस्तुत निगरानी संख्या टीए/87(4279)/2004 खारिज की जा चुकी है। किसी अन्य द्वारा उक्त निर्णय को आदिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दिया जाना उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर (कैम्प जोधपुर) द्वारा अपील प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 12 फरवरी 2004 के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी-रेस्पो. श्रीमती मंजू देवी तथा धीरज पुत्र अशोक की खातेदारी में दर्ज की गयी 8 बीघा भूमि बाबत किशनलाल पुत्र कुनजी के वारिस होने की हैसियत से उक्त आराजी में हक-हकूक होने अथवा नहीं होने के संबंध में विनिश्चयन अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल दावे में तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद किया जाना है। अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित अपील प्रकरण में इस बाबत कोई टिप्पणी किया जाना प्रासंगिक नहीं है। **वर्तमान में वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलाण्ट राजस्व रिकार्ड में खातेदार अथवा सहखातेदार दर्ज नहीं है, मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा होने के संबंध ठोस प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।** अपने पक्ष में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद श्रीमती मंजू द्वारा उक्त 8 बीघा भूमि में से 5 बीघा 02 बिस्वा भूमि का बेचान जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख अन्य अप्रार्थीगण श्रीमती बेला देवी पत्नी घनश्याम व श्रीमती अनिता पत्नी गजेन्द्र को कर दिया जाना व इन केतागण द्वारा उत्तरोत्तर बेचान अन्य अप्रार्थीगण के पक्ष में कर दिया जाना भी उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकट होता है। ऐसी स्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित विचारणीय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी-अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया गया है, जिससे अदालत हाजा पूर्णतया सहमत है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 174/2013 राकेश परिहार बनाम बंशीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 अक्तूबर 2014 विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/7/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर